

जिला सरगुजा के वनमण्डल अंतर्गत पथराई बाक्सार्ड हेतु राजस्व भूमि 99.350 हे. क्षेत्र बाक्सार्ड उत्खनन के गैर वानिकी प्रयोग के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव -

चेक लिस्ट क्रमांक -26

[वन संरक्षक एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित]

1	परियोजना का नाम	पथराई बाक्सार्ड माईन्स		
2	आवेदक/ आवेदक विभाग का नाम	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम), सोनाखान भवन रायपुर (छ.ग.)		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	बाक्सार्ड उत्खनन हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना
		सरगुजा	सरगुजा वनमण्डल	पथराई बाक्सार्ड माईन्स
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड	कक्ष	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	क. आरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक
	ख. संरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक
	ग. असीमांकित, आरंज एरिया	निरंक	निरंक	निरंक
	घ. राजस्व वन क्षेत्र (छोटे झाड़ का जंगल)	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	आवेदित क्षेत्र का रकबा हे. में
		पथराई,	15/6	18.135
			16/19	5.533
			94/4 (क)	28.585
			95/10	1.011
			95/18	0.283
			96/3	39.766
			96/6	0.821
			96/7	2.245
			96/8 (क)	1.619
			96/9	0.405
			96/10	0.094
			96/11	0.853
	योग :-			99.350

(Signature)
वन परिक्षेत्राधिकारी

(Signature)
उप वन मण्डलाधिकारी
नैनापुर उप वनमण्डल

(Signature)
D.F.O.
Sarguja Division
Ambikapur (G.)

6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि में वृक्ष स्थित नहीं है। आस-पास के वनक्षेत्र में साल एवं मिश्रित प्रजाति के वन सम्पदा है।
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में वृक्ष स्थित नहीं है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनर्त्यादन की स्थिति	नगण्य है।
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से आवेदित क्षेत्र की दूरी लगभग 500 मीटर है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive में क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायों स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	आवेदित क्षेत्र के 5 वर्ग कि.मी. की परिधि अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायों स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल स्थित नहीं है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है, अथवा नहीं। (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे)	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ मिनिरल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम है। आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम पथरई में प्रस्तावित बाक्ससाईट माईन्स, बाक्ससाईट निक्षेप (Deposit) होने के कारण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र के 10 वर्ग कि.मी. के आस-पास में स्थित स्वीकृत खदानों का मानचित्र संलग्न है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किय गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी एवं विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक स्थल निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) कुल क्षेत्रफल 99.350 हे. क्षेत्र में बाक्ससाईट निक्षेप साईट स्पेसिफिक होने के कारण तथा राष्ट्र हित में परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- ग्राम पथरई, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा
दिनांक :- 14.08.2016

(मोहम्मद साहिद)
भा.व.से.

वन संरक्षक एवं
प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

(म.प. मन्सुम)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र मैनपाट

(ज.व.)
उप वन मण्डलाधिकारी
सीतापुर, उप वनमण्डल